न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 503/2023

अपीलांट बनाम रेस्पोडेन्ट

अपीलांट:

1. उका पुत्र अचला
2. धना पुत्र गंगदा
3. पारू पुत्र गंगदा
4. लसा पुत्र गंगदा
5. लाला पुत्र गंगदा
6. वीरममा पुत्र अचला

(सभी जातियान कलबी, निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गुडामालानी, जिला बाडमेर
2. मांगा पुत्र अगरा कल्बी निवासी ग्राम मघाणी मेघवालों की ढाणी, तह0 गुडामालानी (बाडमेर)
3. जोइताराम पुत्र भावाराम कलबी निवासी ग्राम मघाणी मेघवालों की ढाणी, रतनपुरा तह0 गुडामालानी (बाडमेर)
4. नरसीराम पुत्र भावाराम कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी, रतनपुरा तह0 गुडामालानी, बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी प्रकरण सं0 43/23 आदेश दिनांक 21.7.23

उपस्थिति –

1. श्री के0सी0 चौधरी वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
3. रेस्पो0 सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित
4. श्री सुखदेव पटेल रेस्पो0 सं0 3 व 4

निर्णय

दिनांक 23.04.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 के द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के पत्र कमांक 29 दिनांक 07.07.2023 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम मघाणी मेघवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 143 व वीरमाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 381 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खसरा नं0 143 की भूमि में से 0.1308 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट को विधिवत नोटिस की तामिली नही हुई व उसे जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। मौके पर पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध नही था और न ही किसी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदार द्वारा रास्ते की मांग की गई। अधनीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश मात्र 14 दिन मे 3 पेशीयां नियत कर अनावश्यक जल्दबाजी में पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि वह खसरा नं0 164 के मूल खातेदार है। ग्राम मघाणी मेघवालों की ढाणी से बीरमाणियों की ढाणी के बीच जो गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया है, वह पिढियों से चल रहा है। जिस पर ग्राम पंचायल द्वारा ग्रेवल सड़क बनायी जा रही है। कटाण मार्ग के चिपते रेस्पा0 सं0 3 व 4 का खेत स्थित है, जिसमें आने–जाने का एक मात्र रास्ता है। अपीलांट्स द्वारा उक्त मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे आने जाने में असुविधा हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विप्रार्थीगण–अपीलांट्स को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की डिलीवरी दिनांक 14.7.23 को हो गई थी। इसके बावजूद वह नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही हुए। अतः अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 के तहत तहसीलदार गुडामालानी के आवेदन/प्रस्ताव पर की गई हैं। प्रकरण में विप्रार्थी–अपीलांट्स 1 से 6 तथा रेस्पो0सं0–2 को सुनवाई हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस की सुपुर्दगी, ट्रेकिंग रिपोर्ट अनुसार दिनांक 14.7.23 को हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.7.23 व 21.7.23 के अनुसार वह उक्त तिथियों पर अनुपस्थित रहे। इस स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया, मानने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 43/2023 सरकार बनाम उका वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

23.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर